

ग्राम पंचायत नेरी, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी के लेखाओं का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग—एक

1 प्रस्तावना:—

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत नेरी, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:—

प्रधान:—

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमती कृष्णा देवी	1.4.14 से 22.1.16
2	श्रीमती अन्जना कुमारी	23.1.16 से निरन्तर

सचिव:—

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री विनोद कुमार	1.4.14 से निरन्तर

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:—

ग्राम पंचायत नेरी के लेखाओं अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं के अंकेक्षण तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तःशेष में अन्तर	0.01
2	4.2	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना	—

3	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.71
4	6	अनुदानों का उपयोग न करना	9.05
5	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना क्रय करना	1.96
6	8	पंचायत निधि का सम्भावित गबन	0.10

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत नेरी, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सन्तोष कुमार क0ले0प0 द्वारा दिनांक 25.10.17 से 28.10.17 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः निम्न मासों का चयन किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	03 / 15	09 / 14
2015-16	01 / 15	11 / 15
2016-17	12 / 16	01 / 17

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत नेरी, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 28.10.17 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:—

ग्राम पंचायत नेरी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:—

(1) स्व: स्त्रोत:— ग्राम पंचायत नेरी द्वारा प्रस्तुत अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2014—15	121085.18	14288	135373.18	27188	108185.18
2015—16	108185.18	27622	135807.18	53176	82631.18
2016—17	82631.18	68074	150705.18	31429.50	119275.68

अनुदान:— ग्राम पंचायत नेरी द्वारा प्रस्तुत अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट—1 में भी दिया गया है:—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2014—15	530015.82	656708	1186723.82	896581	290142.82
2015—16	290142.82	928110	1218252.82	905410	312842.82
2016—17	312842.82	3079764	3392606.82	2487956	904650.82

4.1 रोकड़ बही तथा बैंक खातों के दिनांक 31.3.17 के अन्तशेष में ₹1059.99 का अन्तर:—

स्व: स्त्रोत:—

दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही का अन्तशेष 119275.68

अनुदान:—

दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बहियों का अन्तशेष 904650.82

प्राप्त अनुदान राशियाँ जिनकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की गई (संलग्न विवरण परिशिष्ट—II) 543703.00

बैंक खातों में जमा ब्याज जिसकी रोकड़ प्रविष्टि नहीं की गई

माह	खाता सं०	राशि	
09 / 14	3216	943	
09 / 14	3095	12237	13180
कुल योग/रोकड़ बहियों का वास्तविक शेष			1580809.50
बैंक खातों का दिनांक 31.3.2017 को शेष (संलग्न विवरण परिशिष्ट—III के अनुसार)			1579749.51
अन्तर			₹1059.99

समय पर रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.2017 को बैंक खातों में रोकड़ बहियों की तुलना में ₹1059.99 कम जमा पाये गए तथा अन्तःशेष का मिलान करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 001 दिनांक 27.10.17 द्वारा सचिव को निर्देश दिए गए, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक खातों का मिलान नहीं किया गया। अतः अन्तर के कारणों की जाँच करते हुए खातों का मिलान किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना:—

ग्राम पंचायत नेरी की रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही तथा बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) तथा 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 पंचायत राजस्व ₹0.71 लाख वसूली हेतु शेष:—

पंचायत की स्वःस्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि संलग्न **परिशिष्ट IV** के अनुसार दिनांक 31.3.17 तक पंचायत के राजस्व/गृहकर ₹71250 की वसूली शेष थी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए, बकाया राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाये।

6 अनुदान ₹9.05 लाख का उपयोग न करना:—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट—I** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान ₹904650 उपयोग हेतु शेष थी। पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-2 सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम

अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित करें अन्यथा राशि का प्रत्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

7 ₹1.96 लाख के स्टॉक/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 तथा 71 में क्रय कर गई सामग्री की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि जारी करने इत्यादि की अपैचारिकताएँ प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट—V** में दिये गये विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹195933 की क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में नहीं की गई थी जोकि नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर की प्रविष्टि नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए समस्त क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टि नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

8 पंचायत निधि ₹0.10 लाख का सम्भावित गबन:—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या 26 माह 9/14 द्वारा 70 बैग सीमेन्ट को सड़क से अशोक कुमार (वार्ड नं0 4) के घर के पास दीवार बनाने हेतु ले जाने के लिए भोडे के तौर पर ₹1100 का भुगतान किया गया (रोकड़ बही पृ0सं0 178) परन्तु खाता संख्या 32210103246 से ₹1100 के स्थान पर ₹11000 की निकासी की गई तथा इस अधिक निकासी ₹9900 का उपयोग न तो किसी अन्य व्यय/भुगतान के लिए किया गया और न ही इसको वापस पंचायत निधि में जमा करवाया गया। अतः इस अधिक निकासी के गबन/दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता जिसकी विभागीय स्तर पर जाँच की जाए तथा अतिशीघ्र इस राशि की उत्तरदायी से वसूली की जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

9 ₹0.10 लाख के वाउचर प्रस्तुत न करना:—

चयनित मास 11/15 में भुगतान वाउचर सम्बन्धित नस्ति में संलग्न न होने के कारण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 002 दिनांक 27.10.17 द्वारा सचिव को उक्त मास के व्यय वाउचर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। अंकेक्षण अधियाचना में वर्णित वाउचर प्रस्तुत कर दिये गये परन्तु इन वाउचरों में से वाउचर संख्या 63 ₹10280 अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः उक्त वाउचर को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये

अन्यथा इसके माध्यम से किये भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाये।

10 माप पुस्तिकाओं का सत्यापन न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, भत्ते, कराधान) नियम 2002 के नियम 104 (2) (ii) तथा 105 के अनुसार पंचायत द्वारा करवाये गए सभी विकासात्मक कार्यों की माप पुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियों का कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सत्यापन करना अनिवार्य है, परन्तु ग्राम पंचायत के तकनीकी सहायक द्वारा अनुरक्षित माप पुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियों का सत्यापन, कनिष्ठ अभियन्ता से नहीं करवाया जा रहा है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा करवाये गए सभी विकासात्मक कार्यों की माप पुस्तिकाओं में की गई विकासात्मक कार्यों की प्रविष्टियों का नियमानुसार सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें।

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया है इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करके तदनुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत भी करवाया जाए।

12 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत, पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों और अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(क) अनुदान रजिस्टर

(ख) अस्थाई अग्रिम रजिस्टर

(ग) गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर

(घ) प्रतिस्थापना बिल रजिस्टर

(ङ) स्टैम्प रजिस्टर

(च) स्टेशनरी रजिस्टर

(छ) वर्गीकृत सार रजिस्टर

13 लघु आपत्ति विवरणिका:- अंकेक्षण में पाई गई लघु आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटान कर दिया गया। अतः उक्त विवरणिका को अलग से जारी नहीं किया गया।

14 निष्कर्ष:- ग्राम पंचायत नेरी के लेखाओं में व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / -

(ज्ञान चन्द शर्मा)

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (xi) 41 / 2017-खण्ड-1-2177-2179 दिनांक
27.03.2018 शिमला-171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0
- 3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0
- पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत नेरी विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / -

(ज्ञान चन्द शर्मा)

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

0177-2620881